महत्वपूर्ण

संख्या-449 /18-4-2010-14(सी0आई0बी0)/2000

प्रेषक,

पी0के0 सिंह,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
यू0पी0एस0आई0डी0सी0,
कानपुर ।

लघु उद्योग अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 25 फरवरी,2010

विषयः एसाइड योजनान्तर्गत मेरठ में जेम्स एण्ड ज्वैलरी ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की परियोजना ।

महोदय,

उक्त परियोजना दिनांक 15.1.2010 को आयोजित एस0एल0ई0पी0सी0 की बैठक में नई परियोजना के रूप में स्वीकृत की गयी थी। निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, लखनऊ के पत्र संख्या-1305/ई0पी0बी0/एसाइड/2009-10, दिनांक 5.2.2010 के द्वारा परियोजना लागत का विवरण उपलब्ध कराया गया था। प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान द्वारा परीक्षणोपरान्त प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित कार्यमदों एवं लागत का विवरण एवं आख्या निम्नवत् हैः-

(लागत रू0 लाख में)

क्र0स0	कार्यमद	प्रस्तावित लागत	आंकलित लागत
1	भवन	170.77	166.40
2.	प्लान्ट एवं मशीनरी	260.00(एक मुश्त)	260.00
3	फर्नीचर फिक्चर, कम्प्यूटर हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर	50.00 (एक मुश्त)	50.00
4.	एयर कन्डीशनिंग	20.00 (एक मुश्त)	20.00
5.	कन्टीजेन्सी	20.00 (एक मुश्त)	10.00 (एकमुश्त)
6.	कन्सलटेन्सी एवं प्री आपरेटिव व्यय	10.00 (एक मुश्त)	10.00
7.	योग	530.77	516.40

प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्लान्ट एंव मशीनरी फर्नीचर फिक्चर, कम्प्यूटर हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर सम्बन्धी कार्यमद एयर कन्डीशनिंग आदि हेतु एक मुश्त धनराशि प्रस्तावित की गयी है, प्रभाग द्वारा उक्त मदों में प्रस्तावित धनराशि को यथावत् सम्मिलित करते हुए आगणन का परीक्षण किया गया है। प्रभाग का मत है कि कार्यदायी संस्था द्वारा उक्त मदों में व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अंतर्गत सुनिश्चित कराया जाय।

2/—

प्रायोजना का निर्माण कार्य जेम्स एण्ड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउन्सिल, नई दिल्ली द्वारा किया जायेगा।

प्रायोजना का वित्त पोषण एसाइड निधि एवं जेम्स एण्ड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउन्सिल नई दिल्ली द्वारा किया जायेगा।

प्रभाग द्वारा प्रायोजना आगणनों में प्रस्तावित मात्राओं, विशिष्टयो तथा प्राविधानों को यथावत् मानते हुए परीक्षण किया गया है। कार्यान्वयन के समय मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

प्रायोजना प्रस्ताव का परीक्षण प्रभाग द्वारा प्रशासनिक एंव वित्तीय स्वीकृति/ बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रस्तावित प्रायेाजना की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रायोजना के प्रस्तावित निर्माण कार्य कराये जाय।

2. इस सम्बंध में निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो का उपर्युक्त पत्र दिनांक 5.2.2010 एवं पी0एफ0ए0डी0 द्वारा आगणित किये गये आगणन शीट संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया दिनांक 15.1.2010 को आयोजित एस0एल0ई0पी0सी0 की बैठक के कार्यवृत्त में प्रश्नगत परियोजना में लिए गये निर्णयानुसार कार्यदायी संस्था जेम्स एण्ड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउन्सिल नई दिल्ली से सहभागिता राशि जमा कराते हुए पी0एफ0ए0डी0 द्वारा किये गये उपरोक्त मूल्यांकन के अनुसार एसाइड फण्ड से आवंटित धनराशि नियमानुसार अवमुक्त करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(पी0के0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या 5496(1)/18–4–2010–12(एसाइड)/08 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निर्यात आयुक्त,निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, गोमती नगर लखनऊ।
2. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय कानपुर।
3. महा प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मेरठ।
4. रीजनल डायरेक्टर नादर्न जोन, जेम्स एण्ड ज्वैलरी, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी0के0 सिंह)
विशेष सचिव।